न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर (जिला–अजमेर)

पीठासीन अधिकारी महावीर सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व अपील संख्या – 5/2021

उनवान

रामगोपाल पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर

अपीलान्ट .....

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र नारायण
2. जगदीश पुत्र नारायण
3. रामचन्द पुत्र नारायण
4. प्रेमदेवी पुत्री नारायण
5. सायरीदेवी पुत्री नारायण

   समस्त जाति जाट निवासी ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर
6. भागवेन्द्र सिह पुत्र कानसिंह पंवार जाति राजपूत निवासी पर्बतपुरा बाईपास तहसील व जिला अजमेर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर
8. उपपंजीयक महोदय अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व ग्राम पंचायत दौराई द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013

उपस्थित श्री रूपक शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 2

दिनांक :– 06.04.2022

आदेश

पत्रावली पेश हुई । वकील उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष को अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर सुना गया । वकिल अपीलान्ट ने अपनी

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया गया ग्राम दौराई के खाता नम्बर 235 के खसरा नम्बर पुराने 417 नये 487 रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा भूमि के खातेदार नारायण पुत्र भागीरथ थे और वही इस संपूर्ण आराजी के शांन्तिपूर्ण कब्जे काश्त पर काबिज काश्त चले आ रहे थे उन्होनें अपने जीवनकाल में ही एक पंजीकृत मुख्त्यारनामा श्री ओमप्रकाश जैन के नाम से दिनांक 20.2.1991 को निष्पाद्वित करवाया और विवादित आराजीयात के समस्त हक व अधिकार मुख्त्यारआम को दिये। मुख्त्यारआम श्री ओमप्रकाश द्वारा अपनी हैसियत से उपयोग करते हुए दिनांक 23.4.1992 को एक पंजीकृत विकय विलेख पंजीकृत करवाया जो कि बतौर केता श्री प्रेमराज पुत्र श्री मोहनलाल, प्रकाशचंद पुत्र श्री प्रेमराज, अशोक कुमार पुत्र प्रेमराज, अनिल कुमार पुत्र श्री बाबूलाल समस्त जाति जैन निवासी कोतवाली के बाहर अजमेर एवं श्रीमति डेजी जैन धर्मपत्नि श्री ओमप्रकाश निवासी अजमेर को बहिस्सा बराबर पंजीकृत विकेय विलेख के आधार पर की गयी जिसके बाद ये पांचो अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे। प्रेमराज, प्रकाशचंद, अशोक कुमार, अनिलम कुमार, डेजी जैन ने अपनी अपनी खरीदशुद्वा आराजीयात बाबत एक मुख्त्यारआम श्री रूस्तम अली को नियुक्त किया जिसे वादग्रस्त आराजीयात के सभी हक व अधिकार दिये गये रूस्तम अली ने दिनांक 22.10.2018 को अपने मुख्त्यारआम की हैसियत से एक पंजीकृत विकय विलेख मुझ अपीलांट रामगोपाल पुत्र कन्हैयालाल के पक्ष में पंजिकृत करवाई जिसके बाद से मै अपीलांट अपनी खरीदशुद्वा आराजीयात पर शान्तिपूर्ण तरीके से काबिज काश्त हूँ। वादग्रस्त आराजीयात के असल खातेदार मृतक नारायण वलद भागीरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनके वारिसानो को इस बात की भलीभांति सूचना थी कि उनके पिता नारायण ने अपने जीवनकाल में वादग्रस्त आराजीयात का बैचान कर दिया गया है जिसके बावजूद नारायण वलद भागीरथ के वारिसान जगदीश, रामचन्द्र, रामस्वरूप, पिसरान नारायण व प्रेमदेवी, सायरीदेवी पुत्रियॉ नारायण ने इन समस्त तथ्यों को को छिपाते हुए ग्राम पंचायत दौराई के समक्ष अपने मृतक पिता नारायण वलद भागीरथ का विरासतन नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 स्वयं के नाम स्वीकृत करवा लिया गया । नारायण वल्द भागीरथ के वारिसानो ने विवादग्रस्त नामान्तकरण की आड में अब वादग्रस्त आराजीयात का कुछ हिस्सा जो कि मुझ अपीलांट की खरीदशुद्वा हिस्से में आता है का बेचान रेस्पो0 संख्या 6 भागवेन्द्र सिह पुत्र कानसिह पंवार के नाम रजिस्टर्ड विकय विलेख कर दिया ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 6 इस गलीत नामान्तकरण की आड में मुझ अपीलांन्ट को मेरी खरीदशुद्वा आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। मुझ अपीलांट द्वारा तहसीलदार महोदय अजमेर के समक्ष ऐी गलत नामान्तकरण की दुरूस्ती के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया इसके बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई । रेस्पोटेन्ट संख्या 1 लगायत 5 को इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान ाि कि उनके पिता नारायण वल्द भागीरथ ने अपने जीवनकाल में ही वादग्रस्त आराजीयात का बैचान कर दिया है और यह बेचान वर्ष 1992 में हुआ था ऐसी स्थिति में रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 के गलत एवं गैर कानूनी रूप से तथ्यों को छिपाते हुए ग्राम पंचायत दौराई के

उप खण्ड अधिकारी

समक्ष नामान्तकरण हेतु आवेदन कर स्वयं के नाम नामान्तकरण गलत तस्दीक करवाया गया। नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 रेस्पो संख्या 1 लगायत 5 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है वह पूर्णतया गलत है क्योंकि अगर कोई भी खातेदार विरासतन का नामान्तकरण स्वयं के नाम खुलवाने बाबत ग्राम पंचायत को आवेदन देता है तो ग्राम पंचायत उक्त आवेदन पर सर्वप्रमि इस बात की अनापत्ति चाहेगी कि उक्त आराजीयात वर्तमान स्थिति में उन वारिसानों के नाम हस्तान्तरित होनी है अथवा नही । क्योंकि अगर असल खातेदारो ने अपने जीवनकाल में ही विवादित आराजीात को रहन, बय मुन्तकिल कर दिया है तो ऐसी स्थिति में नामान्तकरण खुलवाने के हकदार वर्तमान केतागण होगे किन्तु ग्राम पंचायत ने इस तरह की कोई कार्यवाही एवं बिना जांच किये ही अविधिक तौर पर रेस्पो0 संख्या 1 से 5 को अवाछित लाभ पहुचाते हुए उनके नाम नामान्तकरण स्वीकृत किया गया है। अपीलांट से वादग्रस्त आराजीात का क्रय वर्ष 2018 में रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के आधार पर कर लिया है और रेस्पो0 संख्या 6 के पक्ष में जो विक्रय विलेख है वह वर्ष 2020 का है ऐसी स्थिति में यहा यह कहना आवश्यक होगा कि अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात का केता है और जब तक उसके पक्ष में लिखी गयी विक्रय विलेख सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नही हो जाती है तब तक अन्य विक्रय विलेख जो इसी वादग्रस्त आराजीात के सन्दर्भ में निष्पाद्वित की गयी है वह पश्चातवर्ती विक्रय विलेख की श्रेणी में आने के कारण प्रारम्भतः ही शून्य है। अपीलांट की खरीदशुद्वा आराजी को अब रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 5 बैचान करने पर आमादा हो रहे है और इसी के क्रम में उन्होने रेस्पो. संख्या 6 को कुछ हिस बैचान भी कर दिया है ऐसी स्थिति में अपीलांट के हक व अधिकारो को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत दौराई द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 को निरस्त किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत दौराई द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायाहित में प्रदान करावे।

अपील दर्ज रजिस्टर कि जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट को जारी किए गए। रेस्पोडेन्ट संख्या दो की ओर से श्री जी.एस.लखावत अधिवक्ता उपस्थित आये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1,3 व 6 नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर होने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेन्ट 4 व 5 के रजिस्टर ए.डी नोटिस तामिली अप्राप्त । उपसिति अधिवक्ता के अनुरोध पर बहस सुनी गई।

रेस्पोटेड अधिवक्ता 2 ने अपने अपनी बहस में निवेदन किया गया कि अपीलांट द्वारा जिस ढंग से माननीय न्यायालय में अपील लाने का अधिकार नही है । नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 जो खोला गया है वह पुश्तैनी जमीन हमारी है, राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में हमारे नाम का इन्द्राज है नामान्तकरण वर्ष 2013 में हुआ, अपीलांट द्वारा मात्र 300 वर्गगज प्लाट के सबंध में अपील प्रस्तुत की गई है। प्लाटो का नामान्तकरण नही होता है राज्य सरकार ने प्लाटो का नामान्तकरण बंद कर खा है। वादग्रस्त आराजी खातेदारी

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

सरकारी की भूमि हमारी है। सिविल डिस्प्यूट है ट्रायल की विषय वस्तु है। जों वाद में तय हो सकती है, अधिकत्तर खसरे हमारे नाम है अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

सर्व प्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुना गया । प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र का कोई जवाब रेस्पोडेन्ट की ओर से प्रस्तुत नही हुआ । न ही इस सबंध में खण्डन शपथ पत्र प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित कारणो व स्पष्टीकरण पर अविश्वास करने का कोई कारण नही है। न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है व अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस के अनुसार अपीलार्थी द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों को मीमो अपील में अंकित नही किया गया । विवादित नामान्तकरण संख्या 1516 दिनांक 5.6.2013 जो कि पूर्व मूल खातेदार कि विरासत के सन्दर्भ में स्वीकृत किया गया है। जिससे प्रस्तुत अपील आशिक खसरा एवं रकबे को लेकर प्रस्तुत करना विधि सम्मत एवं न्यायोचित नही है। नामान्तकरण एक फिसकल प्रोसेडिग है एवं समरी प्रोसेडिग है। किसी भी व्यक्ति के हक अधिकार नामान्तकरण की कार्यवाही में तय नही हो सकते है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में रेस्पो0 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है वर्तमान जमाबंदी में दर्ज खातेदारी अधिकार को नामान्तकरण जो फिसकल प्रोसेडिग है, के जरिये निरस्त नही किया जा सकता है। हम वकिल रेस्पोडेन्ट से इस तथ्य से सहमत है कि वर्तमान जमाबंदी में दर्ज रेस्पो0 के खातेदारी अधिकारो को नामान्तकरण एक समरी प्रोसेडिग है के जरिये निरस्त किया जाना उचित नही समझते है । अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

महावीर सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर